सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

फाल्गुन 03, बुधवार, शाके 1944-फरवरी 22, 2023
Phalguna 03, Wednesday , Saka 1944- February 22, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 13, 2023

संख्या:96/भू.अ./ज.स./2015/412-416:- चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ फोंर वाटर तालाब फुलपुरी के निर्माण में आने वाली शेष रही भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में सलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, पिपलखुंट हाई लेवल परियोजना खण्ड प्रथम, बांसवाड़ा को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 (जी) एंव राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) REV-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, सज्जनगढ होगे।

विवरण

फॉर वाटर तालाब फुलपूरी में अवाप्त भूमि की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही बाबत प्रस्ताव जिला बांसवाड़ा।

क्र.स.	परियोजना का नाम	**ग्राम का नाम**	**ग्राम पंचायत**	**तहसील का नाम**	**जिला**	**भूमि अवाप्ति अधिकारी**
1	**फॉर वाटर तालाब फुलपूरी**	फुलपुरी	हिम्मतगढ़ी	सज्जनगढ	**बांसवाड़ा**	सज्जनगढ

फार्म-2

(देखे-नियम-5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगाः-

(क)	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड, **बांसवाड़ा**
	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिये प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियेजना क्षैत्र और प्रभावित क्षेत्र।	फॉर वाटर तालाब फुलपूरी का कार्य ग्राम पंचायत हिम्मतगढ़ी तहसील-सज्जनगढ़ जिला-बांसवाड़ा योजना के अन्तर्गत 1.26 एकड़ भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है।
(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उददेश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईया भी दे।	(1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा और या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नहीं है
(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिये समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन) योजना विनिर्दिष्ट किये जाने होगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
(ड़)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जाएगी।	हां
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से संपर्क करने संबंधी जानकारी।	कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड **बांसवाड़ा में उपलब्ध।**

कृष्ण मोहन जायसवाल,
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।